रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-30032022-234667
CG-DL-E-30032022-234667

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 87] नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 30, 2022/चैत्र 9, 1944
No. 87] NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 30, 2022/CHAITRA 9, 1944

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

जांच शुरूआत अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 मार्च, 2022

मामला संख्याः एडी (एसएसआर-02/2022)

विषय : चीन जन गण के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "बसों और लॉरियों/ट्रकों में प्रयुक्त 16 इंच से अधिक के सामान्य रिम के ब्यास कोड वाली ट्यूबों और/अथवा रबर (ट्यूब रहित टायरों सहित) के फ्लेप सहित अथवा उनके बिना नए/अप्रयुक्त न्यूमेटिक रेडियल टायरों" के आयातों पर लागू पाटनरोधी शुल्क की निर्णायक समीक्षा।

फा. सं. 7/02/2022-डीजीटीआर.—समय-समय पर यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे आगे ''अधिनियम'' भी कहा गया है) और उसकी समय-समय पर यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन और संग्रहण तथा क्षतिनिर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे आगे नियमावली या पाटनरोधी नियमावली भी कहा गया है) को ध्यान में रखते हुए ऑटोमोटिव टायर मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन (जिसे यहां आगे ''आवेदक'' अथवा ''याचिकाकर्ता'' या ''ए टी एम ए'' भी कहा गया है) ने निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें आगे प्राधिकारी भी कहा गया है) के समक्ष एक याचिका दायर की है जिसमें चीन जन.गण. (जिसे आगे ''संबद्ध देश'' भी कहा गया है) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित से निर्यातित ''बसों और लॉरियों/ट्रकों में प्रयुक्त 16 इंच से अधिक के सामान्य रिम के ब्यास कोड वाली ट्यूबों और/अथवा रबर (ट्यूब रहित टायरों सहित) के फ्लेप सहित अथवा उनके बिना

नए/अप्रयुक्त न्यूमेटिक रेडियल टायरों" (जिसे आगे "संबद्ध वस्तु" या "विचाराधीन उत्पाद" या "पीयूसी" भी कहा गया है) के आयातों पर लागू पाटनरोधी शुल्क की निर्णायक समीक्षा हेतु अनुरोध किया गया है।

2. अधिनियम की धारा 9 क (5) के अनुसार लागू पाटनरोधी शुल्क को यदि पहले न हटाया जाए तो वह उसे लागू किए जाने की तारीख से 5 वर्ष समाप्त होने पर निष्प्रभावी हो जाता है और प्राधिकारी के लिए यह समीक्षा करना अपेक्षित है कि क्या शुल्क समाप्त होने से पाटन और क्षति के जारी रहने या उनकी पुनरावृति होने की संभावना है। इसके अनुसार, प्राधिकारी के लिए घरेलू उद्योग के द्वारा या उसकी ओर से किए गए विधिवत रूप से साक्ष्यांकित आवेदन के आधार पर यह समीक्षा करना अपेक्षित है कि क्या शुल्क समाप्त होने से पाटन और क्षति के जारी रहने या उसकी पुनरावृति होने की संभावना है ।

क. <u>पृष्ठभूमि</u>

3. प्राधिकारी ने संबद्ध देश के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के आयातों से संबंधित मूल पाटनरोधी जांच शुरू की थी और दिनांक 1 अगस्त, 2017 के अंतिम जांच परिणाम अधिसूचना सं. 14/14/2015-डीजीएडी के माध्यम से चीन जन.गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश की थी । अंतिम जांच परिणाम में प्राधिकारी द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर केन्द्र सरकार द्वारा दिनांक 18 सितंबर, 2017 की अधिसूचना संख्या 45/2017-सीमाशुल्क (एडीडी) के माध्यम से निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क लगाया गया था । उक्त शुल्क 17 सितंबर, 2022 को समाप्त होने जा रहा है ।

4. आवेदक ने याचिका में संगत सूचना प्रदान की है । याचिका की पाटन की सूचना और साक्ष्य तथा परिणामी क्षति की पर्याप्ता के लिए जांच की गई है जो जांच की शुरूआत को उचित ठहराते हैं ।

ख. <u>विचाराधीन उत्पाद</u>

5. आवेदन में विचाराधीन उत्पाद (पीयूसी) "बसों और लॉरियों/ट्रकों में प्रयुक्त 16 इंच से अधिक के सामान्य रिम के ब्यास कोड वाली ट्यूबों और/अथवा रबर (ट्यूब रहित टायरों सहित) के फ्लेप सहित अथवा उनके बिना नए/अप्रयुक्त न्यूमेटिक रेडियल टायर" हैं।

6. विचाराधीन उत्पाद अध्याय 40 के तहत वर्गीकृत है । टायर को सीमाशुल्क उपशीर्ष सं. 40112010 तथा ट्यूब और फ्लैप को क्रमश: 40131020 और 40129049 के तहत वर्गीकृत किया गया है । तथापि, सीमाशुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और जांच के दायरे पर किसी भी तरह से बाध्यकारी नहीं है ।

7. चूंकि वर्तमान याचिका निर्णायक समीक्षा जांच के लिए है, इसलिए स्थापित न्याय शास्त्र और प्राधिकारी की पूर्व परिपाटी के अनुसार विचाराधीन उत्पाद मूल अंतिम जांच परिणाम अधिसूचना में यथापरिभाषित के समान रहेगा । विचाराधीन उत्पाद मूल जांच में यथापरिभाषित के समान है, जिसे अंतिम जांच परिणाम अधिसूचना में पैरा 8 में निम्नानुसार परिभाषित किया गया था :

i. वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद (पीयूसी) "बसों और लॉरियों/ट्रकों में प्रयुक्त 16 इंच से अधिक के सामान्य रिम के ब्यास कोड वाली ट्यूबों और/अथवा रबर (ट्यूब रहित टायरों सहित) के फ्लेप सहित अथवा उनके बिना नए/अप्रयुक्त न्यूमेटिक रेडियल टायर" हैं। विचाराधीन उत्पाद के दायरे में ट्यूब किस्म और ट्यूबलैस दोनों शामिल हैं । ट्यूब वाले टायर में टायर का प्रयोग वाहन एक ट्यूब और एक फ्लैप के साथ होता है । एक टायर, एक ट्यूब और एक फ्लैप को "टायर सेट" के रूप में बेचा जाता है और टीटीएफ" कहा जाता है । टीटीएफ शब्द उद्योग में प्रचलित है और टायर सैट को दर्शाता है । टायर, ट्यूब और फ्लैप संयुक्त रूप से किसी वाहन में टायर का काम करते हैं । टायर, टयूब और फ्लैप की बिक्री प्राथमिक रूप से टीटीएफ या टायर सैट आधार पर होती है । ट्यूबलैस रेडियल टायर जिनमें ट्यूब या फ्लैप की जरूरत नहीं होती है, भी इस जांच के दायरे में आते हैं ।

ii. आयातित उत्पाद के क्षेत्र में केवल बसों और लॉरियों/ट्रकों में प्रयुक्त रेडियल टायर शामिल हैं। अन्य सभी प्रकार के टायर वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद के दायरे से बाहर हैं ।

iii. *संबद्ध वस्तु अध्याय 40 के तहत वर्गीकृत है । टायर को सीमाशुल्क उपशीर्ष सं. 40112010 तथा ट्यूब और फ्लैप को क्रमश: 40131020 और 40129049 के तहत वर्गीकृत किया गया है । तथापि, सीमाशुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और जांच के दायरे पर किसी भी तरह से बाध्यकारी नहीं है ।*

iv. *प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि टीबीबी के आयात पर चीन से आयातों पर पहले से एडीडी लागू है और वह विचाराधीन उत्पाद के दायरे से बाहर है । पीयूसी के दायरे के अंतर्गत आने वाले सभी टायर सीमाशुल्क उपशीर्ष सं. 40112010 तथा ट्यूब और फ्लैप को सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की अनुसूची 1 के उपशीर्ष सं. क्रमश: 40131020 और 40129049 के तहत वर्गीकृत किए जाने योग्य है और विचाराधीन उत्पाद के दायरे के भीतर है तथा अन्य सभी प्रकार के टायर, ट्यूब और फ्लैप जो इन सीमाशुल्क वर्गीकरण के तहत वर्गीकरण योग्य नहीं है, विचाराधीन उत्पाद के दायरे से बाहर है ।*

ग. समान वस्तु

8. आवेदक ने दावा किया है कि संबद्ध वस्तु घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित उत्पाद और संबद्ध देश से निर्यातित उत्पाद में कोई खास अंतर नहीं है । घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित और संबद्ध देश से आयातित उत्पाद भौतिक और रासायनिक विशेषताओं, विनिर्माण प्रक्रिया और प्रद्योगिकी, कार्य और प्रयोग, उत्पाद विनिर्देशन, कीमत निर्धारण, वितरण और विपणन तथा वस्तुओं के टैरिफ वर्गीकरण जैसी विशेषताओं की दृष्टि से तुलनीय है । ये दोनों ये दोनों तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं और उपभोक्ता इनका एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग करते हैं। इसके अलावा, वर्तमान आवेदन पाटनरोधी शुल्क के निरंतर अधिरोपण के लिए निर्णायक समीक्षा जांच के लिए है । समान वस्तु के मुद्दे की प्राधिकारी द्वारा पिछली जांच में भी जांच की गई है। संबद्ध देश से आयातित उत्पाद घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित उत्पाद के समान वस्तु है ।

घ. संबद्ध देश

9. यह आवेदन चीन जन.गण. से विचाराधीन उत्पाद के निरंतर पाटन के संबंध में दायर किया गया है ।

ड. जांच की अवधि

10. प्राधिकारी ने जांच की अवधि (पीओआई) अक्टूबर, 2020 से सितंबर, 2021 (12 माह)तक निर्धारित की है । क्षति जांच में 2018-19, 2019–20, 2020-21 की अवधि और जांच अवधि शामिल होगी ।

च. घरेलू उद्योग और उसकी स्थिति

11. यह आवेदन ए टी एम ए द्वारा दायर किया गया है । घरेलू उद्योग को क्षति सिद्ध करने के लिए विहित प्रपत्र के अनुसार संगत सूचना निम्नलिखित आवेदक कंपनियों द्वारा दी गई है ।

    i. अपोलो टायर्स लिमिटेड

    ii. जे.के. टायर इंडस्ट्रीज लिमिटेड तथा

    iii. एमआरएफ लिमिटेड

12. आवेदक ने बताया है कि आवेदक कंपनियों के अलावा, भारत में संबद्ध वस्तु के 5 उत्पादक हैं । आवेदक कंपनियों का उत्पादन समान वस्तु के घरेलू उत्पादन का 76.3 प्रतिशत बनता है । आवेदक कंपनियों ने प्रमाणित किया है कि वे संबद्ध देश में किसी निर्यातक या उत्पादक अथवा भारत में किसी आयातक से पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(ख) के अर्थ के भीतर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं हैं ।

13. इसके मद्देनजर और रिकॉर्ड में उपलब्ध सूचना के आधार पर प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हैं कि आवेदन घरेलू उद्योग द्वारा या उसकी ओर से किया गया है और नियम 5(3) की स्थिति संबंधी अपेक्षाओं को पूरा करता है और आवेदक नियम 2(ख) के अर्थ के भीतर घरेलू उद्योग है ।

छ. सामान्य मूल्य

14. आवेदक ने अनुरोध किया है कि सामान्य मूल्य पाटनरोधी नियमावली 1995 के अनुबंध-1 के पैरा 7 के अनुसार निर्धारित किया जाना चाहिए । इसके अनुपालन में बाजार अर्थव्यवस्था वाले किसी तीसरे देश में कीमत या

परिकलित मूल्य के आधार पर सामान्य मूल्य निर्धारित करने के प्रयास किए गए थे । तथापि, इसके संबंध में कोई सत्यापन योग्य साक्ष्य या प्रकाशित सूचना उपलब्ध नहीं थी । इसके अलावा सामान्य मूल्य भारत सहित बाजार अर्थव्यवस्था वाले किसी तीसरे देश से अन्य देश को को कीमत पर आधारित नहीं हो सकता है क्योंकि थाइलैंड एक प्रमुख निर्यातक देश है परंतु प्राधिकारी ने नवंबर, 2020 में थाइलैंड से आयातों पर शुल्क की सिफारिश की है।

15. अत: प्राधिकारी ने भारत में उत्पादन लागत को तर्कसंगत लाभ शामिल करने हेतु विधिवत रूप से समायोजित करके इसके आधार पर संबद्ध देश के लिए सामान्य मूल्य परिकलित किया है ।

ज. निर्यात कीमत

16. वाणिज्यिक आसूचना और सांख्यिकी महानिदेशालय (डीजीसीआईएंडएस) के आयात आंकड़ों के आधार पर संबद्ध देशों के लिए संबद्ध वस्तुओं की निर्यात कीमत की गणना की गई है। समुद्री भाड़ा, समुद्री बीमा, कमीशन, हैंडलिंग शुल्क, बंदरगाह खर्च और बैंक शुल्क के लिए समायोजन किया गया है। आवेदकों द्वारा दावा किए गए निवल निर्यात कीमतों के संबंध में पर्याप्त प्रथम दृष्टया साक्ष्य हैं।

झ. पाटन मार्जिन

17. सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत की कारखाना द्वार स्तर पर तुलना की गई है जो प्रथमदृष्टया दर्शाती है कि संबद्ध देश के मूल के अथवा से निर्यातित संबद्ध वस्तु के संबंध में पाटन मार्जिन न्यूनतम सीमा से अधिक और काफी अधिक है । इस बात के प्रथमदृष्टया साक्ष्य हैं कि संबद्ध देश में संबद्ध वस्तु का सामान्य मूल्य निवल निर्यात कीमत से काफी अधिक है । इससे पता चलता है कि संबद्ध देश के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु को पाटनरोधी शुल्क लागू होने के बावजूद पाटित कीमतों पर निर्यात किया जाना जारी है ।

ञ. क्षति के जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना

18. लागू पाटनरोधी शुल्क के बावजूद सकारात्मक और भारी पाटन मार्जिन पर विचार करते हुए शुल्क समाप्त होने की दशा में पाटन और घरेलू उद्योग को क्षति के जारी रहने/पुनरावृति होने की संभावना है । इसके अलावा, संबद्ध देश में अतिरिक्त क्षमता, संभावित व्यापार विपथन और भारतीय बाजार की कीमत आकर्षकता के प्रथमदृष्टया साक्ष्य हैं । यह नोट किया जाता है कि यदि मौजूदा शुल्क समाप्त होता है तो पाटन तथा घरेलू उद्योग को क्षति के जारी रहने / पुनरावृति होने की प्रथमदृष्टया संभावना है ।

ट. निर्णायक समीक्षा की शुरूआत

19. घरेलू उद्योग द्वारा या उसकी ओर से किए गए विधिवत रूप से साक्ष्यांकित लिखित आवेदन के आधार पर और पाटन और घरेलू उद्योग को क्षति के जारी रहने या उसकी पुनरावृति होने की संभावना के बारे में घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत प्रथमदृष्टया साक्ष्य के आधार पर स्वंय को संतुष्ट करने के बाद, नियमावली के नियम 23 के साथ पठित अधिनियम की धारा 9क (5) के अनुसार प्राधिकारी एतद्वारा संबद्ध देश के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु पर लागू शुल्क को जारी रखने की आवश्यकता की समीक्षा करने और इस बात की जांच करने कि क्या मौजूदा पाटनरोधी शुल्क की समाप्ति से पाटन और घरेलू उद्योग को क्षति के जारी रहने या उसकी पुनरावृति होने की संभावना है, निर्णायक समीक्षा जांच की शुरूआत करते हैं ।

ठ. प्रक्रिया

20. समीक्षा में अंतिम निष्कर्ष अधिसूचना संख्या 14/14/2015-डीजीएडी, दिनांक 1 अगस्त, 2017 और केंद्र सरकार की अधिसूचना संख्या 45/2017-सीमाशुल्क (एडीडी) दिनांक 18 सितंबर, 2017 के सभी पहलुओं को शामिल किया जाएगा। प्राधिकरण आवश्यकतानुसार पाटन और क्षति का संभावित विश्लेषण भी करेगा।

21. नियमावली के नियम 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 19 और 20 के प्रावधान आवश्यक संशोधनों के साथ इस समीक्षा पर लागू होंगे ।

ड. सूचना प्रस्तुत करना

22 कोविड-19 महामारी से उत्पन्न विशेष परिस्थितियों के मद्देजर, निर्दिष्ट प्राधिकारी को समस्त पत्र ई-मेल पतों adg15-dgtr@gov.in, adv11-dgtr@gov.in, jd13-dgtr@gov.in तथा dd15-dgtr@gov.in पर ई-मेल के माध्यम से भेजे जाने चाहिए । यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि अनुरोध का वर्णनात्मक हिस्सा पीडीएफ/एमएस वर्ल्ड फार्मेट में और आंकड़ों की फाइल एम एस एक्सल फार्मेट में खोजे जाने योग्य हो ।

23. संबद्ध देश के ज्ञात निर्यातकों, भारत में स्थित उनके दूतावास के जरिए उनकी सरकार, भारत में संबद्ध वस्तु से संबंधित समझे जाने वाले आयातकों और प्रयोक्ताओं तथा घरेलू उद्योग को नीचे निर्धारित की गई समय सीमा के भीतर विहित प्रपत्र में एवं ढंग से समस्त संगत सूचना प्रस्तुत करने के लिए अलग से सूचित किया जा रहा है।

24. कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार भी ऊपर उल्लिखित ई-मेल पतों पर नीचे दी गई समय सीमा के भीतर विहित प्रपत्र और ढंग से इस जांच से संगत अपने अनुरोध प्रस्तुत कर सकता है ।

25. प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय अनुरोध करने वाले किसी पक्षकार के लिए अन्य पक्षकारों को उपलब्ध कराने हेतु उसका एक अगोपनीय अंश प्रस्तुत करना अपेक्षित है।

ढ समय सीमा

26. वर्तमान जांच से संबंधित कोई सूचना पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार सूचना की प्राप्ति की तारीख से 30 दिनों के भीतर ई-मेल पतों adg15-dgtr@gov.in, adv11-dgtr@gov.in, jd13-dgtr@gov.in तथा dd15-dgtr@gov.in पर ई-मेल के माध्यम से प्राधिकारी को भेजी जानी चाहिए। यदि विहित समय सीमा के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है या प्राप्त सूचना अधूरी होती है तो प्राधिकारी नियमावली के अनुसार रिकॉर्ड में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं।

27. सभी हितबद्ध पक्षकारों को एतद्वारा वर्तमान मामले में अपने हित (हित के स्वरूप सहित) की सूचना देने और उपर्युक्त समय सीमा के भीतर प्रश्नावली का उत्तर देने की सलाह दी जाती है ।

28. हितबद्ध पक्षकारों को यह भी सलाह दी जाती है कि इस जांच के संबंध में किसी भी अद्यतन सूचना के लिए वे डीजीटीआर की अधिकारिक वैबसाइट अर्थात http://www.dgtr.gov.in को नियमित रूप से देखते रहें ।

ण. गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना

29. प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय अनुरोध करने या गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करने वाले किसी पक्षकार को नियमावली के नियम 7(2) और इस संबंध में जारी व्यापार सूचनाओं के अनुसार उसका अगोपनीय अंश भी साथ में प्रस्तुत करना अपेक्षित है। उपर्युक्त का पालन न करने पर उत्तर/अनुरोध को अस्वीकृत किया जा सकता है।

30. प्रश्नावली के उत्तर सहित प्राधिकारी के समक्ष कोई अनुरोध (उससे संलग्न परिशिष्ट/अनुबंध सहित) प्रस्तुत करने वाले पक्षकारों के लिए गोपनीय और अगोपनीय अंश अलग-अलग प्रस्तुत करना अपेक्षित है ।

31. "गोपनीय" या "अगोपनीय" अनुरोधों पर स्पष्ट रूप से प्रत्येक पृष्ठ पर "गोपनीय" या "अगोपनीय" अंकित होना चाहिए। ऐसे अंकन के बिना प्रस्तुत सूचना को प्राधिकारी द्वारा अगोपनीय माना जाएगा और प्राधिकारी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को ऐसे अनुरोध का निरीक्षण करने की अनुमति देने के लिए स्वतंत्र होंगे।

32. गोपनीय पाठ में ऐसी समस्त सूचना होगी जो स्वाभाविक रूप से गोपनीय है और/अथवा ऐसी अन्य सूचना जिसके ऐसी सूचना के प्रदाता द्वारा गोपनीय होने का दावा किया गया है। स्वाभाविक रूप से गोपनीय होने का दावा की गई सूचना या अन्य कारणों से गोपनीयता का दावा की गई सूचना के संबंध में सूचना प्रदाता को प्रदत्त सूचना के साथ ऐसे कारणों का विवरण प्रस्तुत करना होगा कि उस सूचना का प्रकटन क्यों नहीं किया जा सकता है।

33. अगोपनीय रूपांतरण को उस सूचना, जिसके बारे में गोपनीयता का दावा किया गया है, पर निर्भर रहते हुए अधिमानत: सूचीबद्ध या रिक्त छोड़ी गई (यदि सूचीबद्ध करना व्यवहार्य न हो) और सारांशीकृत गोपनीय सूचना के साथ गोपनीय रूपांतरण की अनुकृति होना अपेक्षित है। अगोपनीय सारांश पर्याप्त विस्तृत होना चाहिए ताकि गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना की विषय वस्तु को तर्कसंगत ढंग से समझा जा सके। तथापि,

आपवादिक परिस्थितियों में गोपनीय सूचना प्रदाता पक्षकार यह इंगित कर सकते हैं कि ऐसी सूचना का सारांश संभव नही है और प्राधिकारी की संतुष्टि के अनुसार इस आशय के कारणों का एक विवरण उपलब्ध कराया जाना चाहिए कि सारांशीकरण क्यों सभव नहीं है।

34. प्रस्तुत सूचना के स्वरूप की जांच करने के बाद प्राधिकारी गोपनीयता के अनुरोध को स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं। यदि प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हैं कि गोपनीयता का अनुरोध अपेक्षित नहीं है अथवा सूचना प्रदाता उक्त सूचना को सार्वजनिक करने या सामान्य रूप में अथवा सारांश रूप में उसके प्रकटन को प्राधिकृत करने का अनिच्छुक है तो वह ऐसी सूचना की अनदेखी कर सकते हैं।

35. सार्थक अगोपनीय रूपांतरण के बिना या गोपनीयता के दावे के बारे में यथोचित कारण के विवरण के बिना किए गए किसी अनुरोध को प्राधिकारी द्वारा रिकॉर्ड में नहीं लिया जाएगा।

36. प्रदत्त सूचना की गोपनीयता की जरूरत से संतुष्ट होने और उसे स्वीकार कर लेने के बाद प्राधिकारी ऐसी सूचना के प्रदाता पक्षकार के विशिष्ट प्राधिकार के बिना किसी पक्षकार को उसका प्रकटन नहीं करेंगे।

त. <u>सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण</u>

37. सभी हितबद्ध पक्षकारों की एक सूची डी जी टी आर की वैबसाइट पर इस अनुरोध के साथ अपलोड की जाएगी कि वे अन्य सभी हितबद्ध पक्षकारों को अपने अनुरोधों का अगोपनीय अंश ई-मेल कर दें क्योंकि वर्तमान वैश्विक कोविड-19 महामारी के कारण सार्वजनिक फाइल रूप में उपलब्ध नहीं रहेगी ।

थ. <u>असहयोग</u>

38. यदि कोई हितबद्ध पक्षकार उचित अवधि के भीतर आवश्यक सूचना जुटाने से मना करता है अथवा उसे अन्यथा उपलब्ध नहीं कराता है या जांच में अत्यधिक बाधा डालता है तो प्राधिकारी ऐसे हितबद्ध पक्षकार को असहयोगी घोषित कर सकते हैं और अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं और केन्द्र सरकार को यथोचित सिफारिशें कर सकते हैं।

अनन्त स्वरूप, निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES)

INITIATION NOTIFICATION

New Delhi, the 30th March, 2022

(Case No. AD (SSR) -02/2022)

Subject: Sunset Review of anti-dumping duty imposed on imports of "New/unused pneumatic radial tyres with or without tubes and/or flap of rubber (including tubeless tyres) having nominal rim dia code above 16" used in buses and lorries/trucks", originating in or exported from China PR-reg

F. No. 07/02/2022-DGTR.— Having regards to the Customs Tariff Act, 1975, as amendedfrom time to time (hereinafter also referred to as the "Act") and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, as amended from time to time (hereinafter also referred to as the "Rules" or the "Anti-Dumping Rules"), Automotive Tyre Manufacturer's Association (hereinafter also referred to as the "applicant" or the "petitioner", or "ATMA") has filed a petition before the Designated Authority (hereinafter also referred to as the "Authority") for sunset review of the anti-dumping duty imposed on the imports of "new/unused pneumatic radial tyres with or without tubes and/or flap of rubber (including tubeless tyres) having nominal rim dia code above16" used in buses and lorries/trucks'' (hereinafter referred to as the "subject goods" orthe "product under consideration" or the "PUC") originating in or exported from ChinaPR, (hereinafter also referred to as the "subject country").

2. In terms of Section 9A (5) of the Act, the anti-dumping duty imposed shall, unless revoked earlier, cease to have effect on expiry of five years from the date of such imposition and the Authority is required to review whether the expiry of duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury. In accordance

with the same, the Authority is required to review, on the basis of a duly substantiated request made by or on behalf of the domestic industry as to whether the expiry of duty is likelyto lead to continuation or recurrence of dumping and injury.

A. Background

3. The Authority initiated the original anti-dumping investigation concerning the imports of the subject goods originating and exported from the subject country and recommended imposition of the anti-dumping duty on the imports of the subject goodsoriginating in or exported from China PR vide its final finding notification no. 14/14/2015-DGAD dated the 1st August, 2017. On the basis of the recommendations made by the Authority in the final findings, the definitive anti-dumping duty was imposed by the Central Government vide notification no. 45/2017-Cus (ADD) dated 18th September, 2017. The said duty is going to expire on 17th September, 2022.

4. The applicant has provided the relevant information in the petition. The petition has been examined for sufficiency of the information and the evidence of the dumping andthe consequent injury to justify initiation of the investigation.

B. Product Under Consideration

5. The product under consideration (PUC) in the application is "New/unused pneumatic radial tyres with or without tubes and/or flap of rubber (including tubeless tyres) havingnominal rim dia code above 16'' used in buses and lorries/trucks".

6. The product under consideration is classified under Chapter 40. Tyres are classified under customs subheading no. 40112010 and tubes and flaps are classified under 40131020 and 40129049 respectively. However, the customs classification is indicativeonly and in no way binding on the scope of investigation.

7. The present petition being for sunset review investigation, as per the settled jurisprudence and the past practices of the Authority, the Product under Consideration remains the same as defined in the original final findings notification. The product under consideration is the same as defined in the original investigation, which was defined as follows in Para 8 of the original final findings notification:

i. *The product under consideration (PUC) in the present investigation is "New/Unused pneumatic radial tyres with or without tubes and/or flap of rubber (including tubeless tyres), having nominal rim dia code above 16" used in buses andlorries/trucks". The scope of the product under consideration includes both tube type and tubeless. In tube type tyre, tyre is used along with one tube and one flap in a vehicle. One tyre, one tube and one flap are together sold as a "tyre set" and described as "TTF". The term "TTF" is prevalent in the industry, to denote a "tyreset". Tyre, tube and flap jointly render the function of "tyre" in a vehicle. Sale of tyre, tube and flap are primarily on "TTF" or "tyre set" basis. Tubeless radial tyres,where tube and flap are not required, are also within the scope of this investigation.*

ii. *The scope of the imported product includes only Radial tyres used in buses and lorries / trucks… All other types of tyres are beyond the scope of the product underconsideration in the present investigation.*

iii. *Subject goods are classified in Chapter 40. Tyres are classified under customs subheading no. 40112010 and tubes and flaps are under 40131020 and 40129049 respectively. However, customs classifications are indicative only and in no way binding on the scope of investigation.*

iv. *The Authority further notes that import of TBB is already attracting ADD on imports from China and is beyond the scope of the product under consideration…. All tyresfalling under the scope of PUC classifiable under customs subheading no. 40112010 and tubes and flaps classifiable under 40131020 and 40129049 respectively of Schedule I of the Customs Tariff Act, 1975 are within the scope of the product under consideration and all other kinds of tyres, tubes and flaps not classifiable under these customs classification is beyond the scope of the product under consideration."*

C. Like Article

8. The applicant claims that there is no significant difference in the product produced by the domestic industry and the one exported from the subject country. The product produced by the domestic industry and imported from the subject country are comparable in terms of characteristics such as physical & chemical characteristics, manufacturing process & technology, functions & uses, product specifications, pricing, distribution & marketing, and tariff classification of the goods. The two are technically and commercially substitutable and are used by consumers interchangeably. Further, the present application is for sunset review investigation for the continued imposition of anti-dumping duty. The issue of like article has been examined

by the Authority in the previous investigations as well. The product imported from subject country is like article to the product produced by the domestic industry.

D. Subject Country

9. The application has been filed in respect of continued dumping of the product under consideration from China PR.

E. Period Of Investigation

10. The Authority has determined the period from October, 2020 to September, 2021 (12 months) as the period of investigation (POI). The injury investigation will include the period 2018-19, 2019–20, 2020-21 and the POI.

F. Domestic Industry And Standing

11. The application has been filed by ATMA. The relevant information as per the prescribed formats to establish injury to the domestic industry has been provided by thefollowing applicant companies:

    i. Apollo Tyres Limited,

    ii. J.K. Tyre Industries Limited and

    iii. MRF Limited

12. The applicant has submitted that there are five producers of subject goods in India apart from the applicant companies. The production by the applicant companies constitutes 76.3% of the domestic production of the like article. The applicant companies have certified that they are not related to an exporter or producer of the subject goods in thesubject country or an importer in India either directly or indirectly within the meaning of Rule 2(b) of Anti-Dumping Rules.

13. In view of the same and on the basis of the information available on record, the Authority is satisfied that the application has been made 'by or on behalf of the domesticindustry' and satisfies the requirements of standing in terms of Rule 5(3), and the applicant constitutes domestic industry within the meaning of Rule 2(b).

G. Normal Value

14. The applicant has submitted that the Normal Value should be determined as per Para 7 of Annexure I of the Anti-Dumping Rules, 1995. Pursuant to the same, efforts were made to determine the normal value on the basis of price or constructed value in a market economy third country. However, no verifiable evidence or published information was available regarding the same. Further, the normal value could not be based on the price from a market economy third country to other country, including India, since Thailand is the major exporting country, but the Authority had recommended duties in November, 2020 on the imports from Thailand.

15. The Authority has, therefore, constructed the normal value for the subject country on the basis of the cost of production in India duly adjusted to include reasonable profit.

H. Export Price

16. The export price for subject goods for the subject countries has been computed based on the Directorate General of Commercial Intelligence and Statistics (DGCI&S) importdata. The adjustments have been made for ocean freight, marine insurance, commission, handling charges, port expenses, and bank charges. There is sufficient prima facie evidence with regard to the net export prices claimed by the applicants.

I. Dumping Margin

17. The normal value and the export price have been compared at the ex-factory level, which prima facie show that the dumping margin is above the de-minimis level and significant in respect of the subject goods originating in or exported from the subject country. There is prima facie evidence that the normal value of the subject goods in thesubject country is significantly higher than the net export price, indicating that the subject goods originating in or exported from the subject country have continued to beexported at the dumped prices, in spite of the anti-dumping duty in force.

J. Likelihood of continuation or recurrence of injury

18. Considering the positive and significant dumping margin in spite of the anti-dumping duty in force, there is likelihood of continuation/recurrence of the dumping and the injury to the domestic industry in the event of cessation of duty, Moreover, there is prima facie evidence of the excess capacities in the subject country, the potential trade diversion and the price attractiveness of the Indian market. It is noted that there is prima facie

likelihood of continuation/recurrence of the dumping and the injury to the domestic industry in the event of cessation of the existing anti-dumping duty.

K. Initiation of sunset review investigation

19. On the basis of the duly substantiated written application filed by or on behalf of the domestic industry, and having satisfied itself on the basis of the prima facie evidence submitted by the domestic industry about the likelihood of continuation or recurrence of the dumping and the injury to the domestic industry, the Authority, in accordance with Section 9 A (5) of the Act, read with Rule 23 of the Rules, hereby initiates the sunset review investigation to review the need for continued imposition of the duties inforce in respect of the subject goods, originating in or exported from the subject country, and to examine whether the expiry of existing anti-dumping duties is likely to lead to continuation or recurrence of the dumping and the injury to the domestic industry.

L. Procedure

20. The review will cover all aspects of final finding notification no. 14/14/2015-DGAD, dated the 1st August, 2017 & Central Government notification no. 45/2017-Cus (ADD) dated 18th September, 2017. The Authority will also undertake the likelihood analysisof dumping and injury as required.

21. The provisions of Rules 6,7,8,9,10,11,16,17,18,19 and 20 of the Rules shall be mutatis mutandis applicable in this review.

M. Submission of information

22. In view of the special circumstances arising out of COVID-19 pandemic, all the communication should be sent to the Authority via email at email addresses adg15- dgtr@gov.in, adv11-dgtr@gov.in, jd13-dgtr@gov.in and dd15-dgtr@gov.in . It shouldbe ensured that the narrative part of the submission is in searchable PDF/MS Word format and data files are in MS Excel format.

23. The known exporters in the subject country, their government through their Embassy in India, the importers and the users in India known to be concerned with the subject goods and the domestic industry are being informed separately to enable them to file all the relevant information in the form and manner prescribed within the time-limit setout below.

24. Any other interested party may also make its submissions relevant to the investigationin the form and manner prescribed within the time-limit set out below on email addresses mentioned above.

25. Any party making any confidential submission before the Authority is required to make a non-confidential version of the same available to the other parties.

N. Time-limit

26. Any information relating to the present investigation should be sent to the Designated Authority via email at the email addresses adg15-dgtr@gov.in, adv11-dgtr@gov.in, jd13-dgtr@gov.in and dd15-dgtr@gov.in within thirty days from the date of receipt ofthe notice as per Rule 6(4) of the Anti-Dumping Rules. If no information is received within the prescribed time-limit or the information received is incomplete, the Authoritymay record its findings on the basis of the facts available on record in accordance withthe Rules.

27. All the interested parties are hereby advised to intimate their interest (including the nature of interest) in the instant matter and file their questionnaire responses within theabove time limit.

28. The interested parties are further advised to keep a regular watch on the official website of DGTR, i.e., www.dgtr.gov.in for any updated information with respect to this investigation.

O. Submission of information on confidential basis

29. Any party making any confidential submission or providing information on confidential basis before the Authority, is required to simultaneously submit a non-confidential version of the same in terms of Rule 7(2) of the Rules and the Trade Notices issued in this regard. Failure to adhere to the above may lead to rejection of the response / submissions.

30. The parties making any submission (including Appendices/Annexes attached thereto), before the Authority including questionnaire response, are required to file Confidentialand Non-Confidential versions separately.

31. The "confidential" or "non-confidential" submissions must be clearly marked as "confidential" or "non-confidential" at the top of each page. Any submission made without such marking shall be treated as non-confidential by the Authority, and the Authority shall be at liberty to allow the other interested parties

to inspect suchsubmissions.

32. The confidential version shall contain all information which is by nature confidential and/or other information which the supplier of such information claims as confidential. For information which are claimed to be confidential by nature or the information on which confidentiality is claimed because of other reasons, the supplier of the information is required to provide a good cause statement along with the supplied information as to why such information cannot be disclosed.

33. The non-confidential version is required to be a replica of the confidential version with the confidential information preferably indexed or blanked out (in case indexation is not feasible) and summarized depending upon the information on which confidentialityis claimed. The non-confidential summary must be in sufficient detail to permit a reasonable understanding of the substance of the information furnished on confidentialbasis. However, in exceptional circumstances, the party submitting the confidential information may indicate that such information is not susceptible to summary, and a statement of reasons why summarization is not possible must be provided to the satisfaction of the Authority.

34. The Authority may accept or reject the request for confidentiality on examination of the nature of the information submitted. If the Authority is satisfied that the request forconfidentiality is not warranted or if the supplier of the information is either unwillingto make the information public or to authorize its disclosure in generalized or summaryform, it may disregard such information.

35. Any submission made without a meaningful non-confidential version thereof or withoutgood cause statement on the confidentiality claim shall not be taken on record by the Authority.

36. The Authority on being satisfied and accepting the need for confidentiality of the information provided, shall not disclose it to any party without specific authorisation ofthe party providing such information.

P. Inspection of Public File

37. A list of all registered interested parties will be uploaded on DGTR's website along withthe request therein to all of them to email the non-confidential version of their submissions to all other interested parties since the public file will not be accessible physically due to ongoing global Covid-19 pandemic.

Q. Non-Cooperation

38. In case where any interested party refuses access to, or otherwise does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes the investigation, the Authority may declare such interested party as non-cooperative and record its findings on the basis of the facts available to it and make such recommendations to the Central Government as deemed fit.

ANANT SWARUP, Designated Authority

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
SURENDER MAHADASAM Digitally signed by SURENDER MAHADASAM Date: 2022.03.30 16:19:19 +05'30'